छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक एफ 20–38/2017/11/6 (पार्ट–2) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.02.2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छ.ग.शासन
....विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में GeM पोर्टल के माध्यम से शासकीय सामाग्री का क्रय कर छ.ग. भंडार क्रय नियम, 2002 (यथासंशोधित 2021) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं करने बाबत्।

—0—

कृपया इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20–70/2004/11–6 दिनांक 29.12.2020 का अवलोकन करें। जिसमें यह लेख किया गया था कि " *वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में जिन विभागों के द्वारा जेम के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है, उनके द्वारा प्रक्रिया को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाए।* "

2/ उपरोक्त का आशय यह था कि भंडार क्रय नियम 4.3.3 के परंतुक " *केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा।* " के प्रकरणों को छोड़कर शेष शासकीय सामग्री का क्रय वित्तीय वर्ष 2021–22 से जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय न कर छ.ग भंडार क्रय नियम, 2002 (यथासंशोधित 2021) के अनुरूप किया जाना था।

3/ आपके विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में संलग्न प्रपत्र में दर्शायी गई राशि रू..................करोड़ की शासकीय सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया है, जोकि भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2021) के अनुरूप नहीं होना प्रतीत होता है। **अतः आप अपने स्तर पर परीक्षण करें कि उपरोक्त पैरा –2 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर जिस भी अधिकारी द्वारा भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों के विपरीत शासकीय सामग्री का क्रय किया गया है, उनके विरूद्ध निर्देशानुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये।** यदि सामग्री का क्रय केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार जेम के माध्यम से क्रय किया गया है तो भारत सरकार के दिशा निर्देश जिसमें जेम से क्रय किया जाना अनिवार्य किया गया है, की छायाप्रति संलग्न की जाये । दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत की जाये।

प्रपत्र

विभाग का नाम –					
छ.ग. भंडार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधानों का उल्लंघन कर जेम(GeM) के माध्यम से क्रय करने करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण					
अनुक्रमांक	क्रय सामग्री का नाम	क्रय सामग्री की राशि (रू. में)	क्या क्रय सामग्री केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार क्रय की गई है ? यदि हाँ, तो भारत सरकार के दिशा निर्देश का विवरण	क्रय करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम तथा इनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण	रिमार्क

नोट – भारत सरकार के दिशा निर्देश जिसमें जेम से क्रय किया जाना अनिवार्य किया गया है की छायाप्रति संलग्न की जाये ।

कृपया कृत कार्रवाई से निर्देशानुसार इस विभाग को दिनांक 05.03.2022 तक सूचित करने का अनुरोध है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क्र.एफ 20–38/2017/11/6 (पार्ट–2) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.02.2022
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय।
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग